बउनवान सुक्कन बनाम दीपक
अपील सं0 92/2017

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–92/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. सुक्कन पि0मु0 भौन्दू जाति कुम्हार निवासी मेलखेड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1. दीपक पुत्र सुक्कन जाति कुम्हार,
2. पंकज पुत्र सुक्कन जाति कुम्हार नाबालिगान जरिये माता बसरपरस्ती किशनी पत्नि सुक्कन जाति कुम्हार निवासीयान मेलखेड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0

..... असल रेस्पो0/वादीगण

3. उप पंजीयक बड़ोदामेव जिला अलवर राज0 ।
4. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश अलवर राज0 ।

.....तर0 रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अमरचन्द चौधरी अभिभाषक असल रेस्पो0

::: निर्णय :::

दिनांक :–08.06.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 हाल 8, 15, 36, 37 किता 4 रकबा 29 बीघा 1 बिस्वा 1/5 भाग तथा 411/11 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा का 17/100 भाग व ख0 नं0 35 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का 8/60 भाग व ख0 नं0 393/5 रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम मेलखेड़ी में स्थित है जो दावे में विवादित आराजी है । विवादित आराजी वादी के बाबत भौन्दू को विरासत से प्राप्त है जिस आराजी में वादीगण के जन्म से ही अधिकार हैं । विवादित आराजी हाल रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम है जिसमें वादीगण का 2/3 भाग तथा 1/3 भाग प्रतिवादी सं0 1 का है । प्रतिवादी नं0 1 वादीगण का हक व हिस्सा नहीं मान रहे तथा वादीगण के हिस्से की आराजी को नाम करने से मना कर दिया

तथा विवादित आराजी को रहन, बय करने पर आमादा हैं । इसलिए वादीगण को विवादित आराजी में प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से में से 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया । पत्रावली न्याय आपके द्वारा कैम्प में पेश हुई । वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 03.06.2016 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया तथा दिनांक 19.9.2017 को संशोधन किया जिस निर्णय व डिक्री दि0 3.6.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के बयान रेकार्ड नहीं किये और न ही दस्तावेज प्रदर्श कराये और न ही प्रतिवादी सं0 2, 3 की तामील के बारे में कोई कार्यवाही की । वादीगण/असल रेस्पो0 को अपीलांट के खिलाफ दावा लाने का अधिकार नहीं है । वादीगण/असल रेस्पो0 नाबालिग हैं जिनका सरपरस्त माता को गलत बनाया है । वादगण/असल रेस्पो0 ने परिवार का पूरा सजरा प्रस्तुत नहीं किया । अपीलांट की 4 पुत्रिया मौजूद है जिनको दावा में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार थी लेकिन उनको पक्षकार नहीं बनाये जाने से दावा मैन्टेनेबिल नहीं रहता है । कानूनन वादीगण के साथ अपीलांट की पुत्रियों का भी हक व अधिकार होता है जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी नहनाराम पि0मु0 भौन्दू के नाम दर्ज होना लिखा है जबकि दावा अपीलांट के विरूद्ध निर्णित किया है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने समय माईण्ड एप्लाई नहीं किया और न ही पत्रावली का सही प्रकार से अवलोकन किया ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि अपीलांट के जीवित रहते हुए वादीगण को विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । जमाबन्दी सम्वत् 2056 व 2059 के अनुसार विवादित आराजी पैतृक जमीन मानी है । ख0 नं0 35 के लिए कोई प्रार्थना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पेज नं0 2 में जो डिस्कस किया है में नहनाराम पुत्र भौन्दू कौन है ? तो दावा सुक्कन के खिलाफ कैसे डिक्री किया गया । सम्वत् 2005 में संशोधन हो गया कि लड़कों के साथ लड़कियों को भी हिस्सा मिलना चाहिए जो हिस्सा गलत है । हमारी साक्ष्य नहीं ली गयी है ।

बहस में कहा कि वादी के बयानों से जिरह नहीं हुई । हमें जवाब का मौका नहीं मिला और न ही तनकीयात कायम की गई । अतः अपील स्वीकार की जावें ।

इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में 2017 डी.एन.जे. पेज 133, 2018 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 460 पेश की ।

असल रेस्पो0 अभिभाषक ने जवाब बहस में कथन किया कि नोन जोइन्डर पर दावा खारिज नहीं हो सकता है । मैंने पैतृक सम्पति के आधार पर दावा किया है । नहनाराम का

नाम तकनीकी कमी है जो भोन्दूराम की जगह दर्ज हो गया । तहत न्यायालय ने जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 के आधार पर निर्णय किया है । पैतृक को डिनाई नहीं किया है । अपीलांट ने मियाद बाहर अपील पेश की है तथा मियाद को कन्डोन करने का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री उचित है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2016 का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय के आदेश व आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को न तो जवाब का मौका दिया गया और न ही तनकीयात कायम हुई । रेकार्ड व साक्ष्य का अभाव पाया जाता है । अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि ख0 नं0 35 की दावे में कोई प्रार्थना नहीं है फिर भी उसे उस खसरा नम्बर को डिक्री किया गया । ख0 नं0 411, 395 का कोई पैतृक रेकार्ड नहीं है । निर्णय में नहनाराम पुत्र भोंदूराम के विरूद्ध डिक्री के आदेश है । इन सभी बिन्दुओं के अवलोकन से न्यायालय का मत है कि अपीलांट को जवाब, सुनवाई व साक्ष्य एवं रेकार्ड पेश करने का अवसर दिया जाना कानून सम्मत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं तनकीयात कायम कर दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/6/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर